



कार्यालय कलेक्टर (आपूर्ति शाखा) छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 / 1 / 2021

क्रमांक / प्र. / खा. लि. - 2 / 2021

प्रति

- 1 आयुक्त नगरपालिका निगम छिन्दवाड़ा
- 2 अनुविभागीय अधिकारी (रा0) समस्त जिला छिन्दवाड़ा
- 3 तहसीलदार / नायब तहसीलदार समस्त जिला-छिन्दवाड़ा
- 4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त जिला छिन्दवाड़ा
- 5 मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका / परिषद समस्त जिला छिन्दवाड़ा
- 6 सहायक / कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी समस्त जिला छिन्दवाड़ा

विषय - राशन कार्ड / डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी होने के संबंध में ।
संदर्भ - खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल का परिपत्र क्रमांक 2245/खाद्य/2021 भोपाल दिनांक 15/01/2021

—0000—

विषयांतर्गत प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देश दिनांक 16/12/2020 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 257 भोपाल दिनांक 7 जून 2017 द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में संशोधन किया जाकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवायें क्रमांक 9.1 से 9.4 में वेपीएल/एल एल राशन कार्ड जारी होने की सुविधाओं को हटाकर नवीन पात्रता पर्ची जारी होना, नाम सुधार, नाम जोड़ना, नाम काटना, पता परिवर्तन एवं स्थानांतरण (मध्यप्रदेश के अंदर) की सुविधाओं को जोड़ा गया है ।

शासन द्वारा संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार जिले में राशन कार्ड/डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी नहीं किया जाना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबधी वितरण कार्य ऑनलाईन पात्रता पर्ची के माध्यम से ही सम्पादित होगा ।

संलग्न - संदर्भित पत्र

कलेक्टर,

जिला छिंदवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 / 1 / 2021

क्रमांक / प्र. / खा. लि. - 2 / 2021

प्रतिलिपि - संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर,

जिला छिंदवाड़ा

अनुभाग अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग